

108  
20

काज यह पत्रावली सार्थी हरविन्द सिंह  
के द्वारा जरूर वकील साहू पत्र पेश  
काने पर पेशी से की गई सार्थी/वारी  
ने साहू पत्र इस शिष्टांत का पेश किया  
कि हम पदाकाण का राष्ट्रीय लोक  
अदालत की श्रेष्ठा से राजीनामा हो चुका  
है एवं हात्लगत सकल से कोई कार्यवाही  
नहीं करना चाहता है। एवं सकल के तिलका  
का निवेदन किया

वारी के सार्थना - पत्र के आचार  
पर बाद - वारी इसी स्तर पर जारी किया  
आता है पत्रावली निपटारुकार दाखिल करता है सं  
ने सं है।

(पवन कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी

श्रीमान पी.  
राजीनामा हो चुका है।  
हरविन्द

नाम कोई कार्यवाही  
नहीं चलते  
[Signature]  
(12/10/2018)